Mail id: dcfwljaipur@gmail.com

Ph: 0141-2303068

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर

कोलडिपो परिसर, पानीपेच झोटवाडा रोड, जयपुर

क्रमांक : एफ ( ) FCA/उवसवजी/2022–23/2372 दिनांक :– 19-5-22

निमितः–

अधिशाषी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
बस्सी, जयपुर

विषयः– वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन के प्रकरण Upgradation of Road from Bhanpura Kalan to Gol Via Nagal Tulsidas, Toda Meena, Tala, Jaichandpura , Gathwari, Bobari , Under PMGSY-III, District -Jaipur (Rajasthan) Proposal no FP/RJ/ROAD/149378/2021 के संबंध में।

सन्दर्भः–परिवेश पोर्टल पर जारी EDS के क्रम में आप द्वारा प्रत्युत्तर दिनांक 16.05.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्रांक 1891 दिनांक 13.04.2022 द्वारा प्रकरण में आप द्वारा परिवेश पोर्टल पर जारी EDS दिनांक 11.04.2022 के क्रम में रोड के आसपास ग्राम में रहने वाले 75 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तिों का शपथ पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया था कि रोड 1980 से पुर्व की निर्मित है। इस संबंध में आपको उक्त पत्र द्वारा राजस्व नक्शे के आधार पर सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। किन्तु आप द्वारा कोई रिकॉर्ड अथवा साक्ष्य इस कार्यालय को प्रस्तुत नही किया गया है। आपके पत्रांक Spl/02 दिनांक 16.05.2022 में आपने उल्लेखित सडक 1980 से पूर्व की निर्मित होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अतः आक्षेप यथावत है।

पुनः लेख है कि प्रकरण में सडक निर्माण 1980 से पूर्व का निर्मित है, इस बाबत कोई प्रमाणित दस्तावेज इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक्त पार्ट–1 में पाई गई निम्न कमियों की पूर्ति के संबंध में भी आप के द्वारा कोई प्रत्युत्तर आपके पत्र दिनांक 16.05.2022 में प्रस्तुत नही किया गया है।

1. प्रकरण में प्रस्तुत Form A में Part 1 के point no B के B-1, list of proposals submitted in Past, information में सूचना सही नही है। यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्व में प्रेषित प्रस्तावों का विवरण देना था।
2. Point K में 1 के (a), copy of documentry evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the Forest land proposed to be diverted, में सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
3. Point L के बिन्दु 5 and 6 में बिन्दुवार चाहे गये दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नही है। अतः प्रकरण में चाहे गये अनुसार दस्तावेज संलग्न करें।
4. Point D के बिन्दु 1 में प्रस्तुत Justification for locating the project in Forest Area अन्डरटेकिंग दस्तावेज में Widening of road शब्द का प्रयोग किया गया है, जो प्रस्तुत प्रकरण के विषय से विरोधाभासी प्रतीत होता है। स्थिति स्पष्ट करें।

भवदीय

(बनवारी लाल नेहरा)
उप वन संरक्षक
वन्यजीव जयपुर

D:\Meenakshi_documents\letter_work\FCA.docx